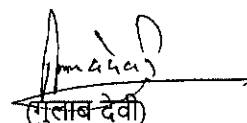


**विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2025 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, मा०
सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-7 का उत्तर:-**

	प्रश्न	उत्तर
7(क)	क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि दिनांक 01 अप्रैल, 2005 के उपरान्त विद्यालयों में नियुक्त शिक्षक एवं प्रवक्ताओं को उनकी नियुक्ति की तिथि से नवीन पेंशन योजना(एन०पी०एस०) के अन्तर्गत प्रदत्त एन०पी०एस० योजना से आच्छादित होने के उपरान्त भी न तो उनके वेतन से कटौती की जा रही है और न ही राज्यांश ही दिया जा रहा है?	जी नहीं।
(ख)	यदि हाँ, तो क्या देवीपाटन मण्डल के अन्तर्गत आने वाले जनपदों में संचालित अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त उन शिक्षकों का एन०पी०एस० योजना से सम्बन्धित विवरण सदन की मेज पर रखेंगे?	विवरण निम्नवत् है:- जनपद गोण्डा दिनांक-01 अप्रैल, 2005 के उपरान्त जनपद में 42 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं, जिनमें कुल 478 प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक एन०पी०एस० योजना से आच्छादित हैं। उनकी नियुक्ति तिथि से अपेक्षित कटौती की जा रही है एवं राज्यांश दिया जा रहा है। जनपद बलरामपुर दिनांक-01 अप्रैल, 2005 के उपरान्त जनपद में संचालित अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कुल 202 प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक एन०पी०एस० योजना से आच्छादित हैं। इन शिक्षकों के सापेक्ष 182 शिक्षकों के वेतन से एन०पी०एस० की कटौती नियमानुसार की जा रही है तथा राज्यांश भी दिया जा रहा है। शेष 28 शिक्षकों के प्रान आवंटन हेतु संस्थान प्रधानाचार्य के द्वारा कुछ का आवेदन फार्म अभी नहीं उपलब्ध कराया गया है और कुछ ऐसे नवनियुक्त शिक्षक हैं, जिन्हें वेतन भुगतान नहीं हो रहा है, इसलिए अभी तक उनका प्रान आवंटन नहीं किया गया है। जनपद बहराइच दिनांक-01 अप्रैल, 2005 के उपरान्त जनपद में संचालित अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापकों की नियुक्ति तिथि से अपेक्षित कटौती की जा रही है एवं राज्यांश दिया जा रहा है। जनपद श्रावस्ती दिनांक-01 अप्रैल, 2005 के उपरान्त जनपद में संचालित अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापकों की नियुक्ति तिथि से अपेक्षित कटौती की जा रही है एवं राज्यांश दिया जा रहा है।
(ग)	यदि नहीं, तो क्यों?	प्रश्न नहीं उठता।


(गुलाब देवी)

राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)